संख्याः–981/XXVIII–5–2017–174/2009.

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 17 अक्टूबर,2017

विषयः **पंडित दीनदयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून में पी0पी0पी0 मोड में अपोलो संस्था के सहयोग से कियाशील नैफ्रोडायलिसिस सैन्टर के संचालन हेतु माह सितम्बर,2016 से मार्च, 2017 तक के बीजकों के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सं0–27प/पी0पी0पी0/29/2011/13696 दिनांक 31मई.2017 के सन्दर्भ में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून में पी0पी0पी0 मोड में अपोलो संस्था के सहयोग से कियाशील नैफ्रोडायलिसिस सैन्टर के संचालन हेतु माह सितम्बर 2016 के बीजकों की धनराशि ₹15,48,256/–,माह अक्टूबर,2016 के बीजकों की धनराशि ₹15,07,454/–,माह नवम्बर,2016 के बीजकों की धनराशि ₹16,30,436/–,माह दिसम्बर,2016 के बीजकों की धनराशि ₹16,89,846/–,माह जनवरी,2017 के बीजकों की धनराशि ₹16,29,022/–,माह फरवरी,2017 के बीजकों की धनराशि ₹14,62,028/–तथा माह मार्च,2017 के बीजकों की धनराशि ₹9,49,232/–सम्प्रति **कुल ₹1,04,16,274/(रूपये एक करोड चार लाख सोलह हजार दो सौ चौहत्तर मात्र)** के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1–स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ/कन्ज्यूमेबल चार्जेज के अनुबंधानुसार होने के सम्बन्ध में स्वतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि सेवा प्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– फर्म को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना का संचालन निष्पादित एम0ओ0यू0 के अनुसार ही किया गया है। धनराशि महानिदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून की संस्तुति पर अवमुक्त की जा रही है, यदि भविष्य में कोई अनियमितता पायी जाती है, तो इस हेतु महानिदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

3–यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अधिप्राप्ति सम्बन्धी समस्त कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन करते हुये किया जा रहा है।

4– धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा निजी सहभागी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) में अंकित दिशा–निर्देशों/शर्तो के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, आयोजनागत, 06–लोक स्वास्थ्य, 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, 00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक–28 सितम्बर,2017 को प्राप्त अनुमोदन एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–674/03(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 13 जुलाई,2017 एवं शासनादेश संख्या–610/03(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नःएलाटमेंट आई0डी0 सं-

भवदीय,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

संख्या– 981 (1)/XXVIII–5–2017–174/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
7–नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
8–एन0आई0सी0।
9–मै0 अपोलो, प0दीन दयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव